

प्रेस विज्ञप्ति**थाना दीदारगंज****अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोपी बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में**

पूर्व की घटना- दिनांक 01/03/2024 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दि० 28.02.2024 को 02 नफर बाल अपचारी ने वादी के लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया तथा वादी के लड़के द्वारा मना करने पर धमकी दिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं०- 52/2024 धारा 377/506 भादवि व 5 m/6 पाक्सो अधिनियम पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ दिनांक 03.03.2024 को 02 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा० न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।

➡ दौरान विवेचना 02 अन्य बाल अपचारी का नाम प्रकाश में आया।

पुलिस संरक्षण में लेने का विवरण- आज दिनांक 15.04.2024 को उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार मय हमराह (सादे वस्त्रों में) द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये बाल अपचारी को भादो मोड़ से समय करीब 9.45 बजे पुलिस अभिरक्षा में लेकर मा० न्यायालय रवाना किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं०- 52/2024 धारा 377/506 भादवि व 5 m/6 पाक्सो अधिनियम थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

पुलिस संरक्षण में लेने वाली टीम- उ०नि० धर्मेन्द्र कुमार, हे०का० विनोद यादव थाना दीदारगंज आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज**अवैध तमंचा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार**

आज दिनांक 15.04.2024 को उ०नि० अवधेश उपाध्याय मय हमराह को सूचना मिली एक व्यक्ति अवैध तमंचा के साथ तेन्दुआ मोड़ पर खड़ा है। इस सूचना पर उ०नि० अवधेश उपाध्याय मय हमराह द्वारा तेन्दुआ मोड़ से अभियुक्त धर्मेन्द्र पासवान पुत्र स्व० परदेशी ग्राम पतिला गौसपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ को समय करीब 10.40 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 113/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि० पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 113/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- धर्मेन्द्र पासवान पुत्र स्व० परदेशी ग्राम पतिला गौसपुर निवासी पटवध सैरैया थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

आपराधिक इतिहास-

- मु०अ०सं० 126/2022 धारा 323, 325, 427, 504, 506 भा०द०वि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 202/2022 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
- मु०अ०सं० 113/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज जपनद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ०नि० उमाशंकर तिवारी, नरेन्द्र कुमार सिंह, का० मोहन कुमार भारती थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा PRD जवान को अच्छे कार्य हेतु दिया गया प्रशस्त्रि पत्र व मोमेन्टो सहित नकद पुरस्कार

आज दिनांक- 15.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा पुलिस लाइन्स आजमगढ़ में स्थित पुलिस कार्यालय में PRD जवान अमला प्रसाद को कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ पर ड्यूटी के दौरान बच्चो व बुजुर्गो को सुरक्षित रोड क्रॉस कराने के सम्बन्ध में प्रशस्त्रि पत्र व मोमेन्टो सहित नकद पुरस्कार देकर उत्साहवर्धन किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने अभियुक्त नदीम अहमद गैंग के सदस्य को किया सूचीबद्ध

दिनांक- 15.04.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अभियुक्त नदीम अहमद पुत्र इसरार अहमद निवासी गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ जो वर्तमान समय में जनपद आजमगढ़ में एक संगठित गैंग बनाकर व स्वयं गैंग का लीडर बनकर आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए अवैध टेलिफोन एक्सचेंज का संचलान तथा अन्तराष्ट्रीय काल को लोकल काल्स में परिवर्तित कर सरकार को राजस्व की हानी पहुंचाने जैसे अपराध कारित कर रहा है। इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकशु लगाये जाने हेतु गैंग को जनपद स्तर पर “सूचीबद्ध” (आपराधिक गैंग) किया गया है। इसका कोड नं0- “डी- 233” होगा। जिसके सदस्य निम्नवत है-

- 1- नदीम अहमद पुत्र इसरार अहमद निवासी गौरडीह खालसा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष।
- 2- दीवान बसर पुत्र दीवान नसर खान निवासी सिधारी बबुआन थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र 42 वर्ष।